

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

का. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ./

4377

प्रति,

कोरबा, दिनांक 22/07/2022

वनमण्डलाधिकारी/नोडल अधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़

विषय :- Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh District in Chhattisgarh area - 157.035 hac.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/RAIL/32194/2018

- संदर्भ :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और मंत्रालय जलवायु परिवर्तन, अरण्य भवन नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./ FC-III/IROCH-05/2022 दिनांक 12.04.2022
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधक/व.स.अ.) रायपुर छ.ग. का पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/ 115-726/929 दिनांक 19.04.2022

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. रेल लाईन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत प्रभावित रकबा 59.368 हे. (राजस्व वनभूमि 35.885 हे., आरेंज एरिया 16.242 हे. एवं संरक्षित वन 7.241 हे.) का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई थी। संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा 08 बिन्दु की जानकारी चाही गई है जिसके परिपालन में बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

S.No	MoEF&CC RO Raipur observation	Reply
1	DFO Dharamjaigarh has mentioned that proposed area is vulnerable for soil erosion. Accordingly soil and ground water conservation plan shall be prepared as required	आवेदक संस्थान के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भू-क्षरण एवं जल संरक्षण योजना तैयार करने का वचन पत्र संलग्न है।
2	As per details of flora and fauna submitted along with the proposal, it is observed that area is inhabited by several Schedules-I and Critically Endangered species and frequent movement of Elephants have been reported by both Dharamjaigarh and Korba DFOs, and the proposed project lies in Elephant corridor as reported by CAMPA of Chhattisgarh Forest Department, and found that Lemru Hathi reserve area proposed within the distance of 03 km. accordingly, separate comments of PCCF (Wildlife)	आवेदक संस्था के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण योजना "वी द फारेस्टर्स वेलफेयर सोसायटी" छ.ग. के द्वारा Eco-Friendly measures to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife, (2016), Wildlife Institute of India Dehradun, India के प्रावधानों के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन्य प्राणी संरक्षण योजना को कार्यालयीन पत्र क्र. /तक.अ./655 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक

S.No	MoEF&CC RO Raipur observation	Reply
	within the distance of 03 km. accordingly, separate comments of PCCF (Wildlife) specifically on movement of elephants in area and impact of instant proposal on it along with mitigation Measures, if any thereof, need to be submitted. In this regard User agency shall need to submit the - wildlife Management plan, duly approved by Chief Wildlife Warden, Covemment of Chhattisgarh and Wildlife Clearance as required.	संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को अनुशंसा सहित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
3	DFOs concerned have not certified that survey number pertaining to the non-forest land involved in the proposal do fall in the category of deemed forest land on which provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable.	रेल लाईन कारीडोर से प्रभावित निजी भूमि का उपवनमण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्राधिकारी के द्वारा मौका निरीक्षण कराया गया, उनके प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि में कहीं भी 10 हे. या उससे बड़े चक नहीं है जहां औसतन 200 से अधिक वृक्ष नहीं लगे हैं। उक्त भूमि डीम फारेस्ट की श्रेणी में नहीं है, छायाप्रति संलग्न है।
4	Proposed area forest density as per Part-II submitted online mentioned density of 0.5 in Dharamjaigarh Forest Division and 0.6 in Korba Forest Division. While the State Government in its forwarding letter has mentioned density as 0.1 to 0.5 in Dharamjaigarh Forest Division and 0.2 to 0.6 in Korba Forest Division. Discrepancy needs to be rectified by the State Government.	रेल लाईन कारीडोर से प्रभावित वनभूमि /राजस्व वनभूमि क्षेत्र का उप वनमण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्राधिकारी के द्वारा मौका निरीक्षण कराया गया उनके प्रतिवेदन अनुसार वनभूमि /राजस्व वनभूमि क्षेत्र में 0.1 से 0.6 तक घनत्व पाया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
5	CA scheme of compartment number P312 and P318 which is given from 2019-20 to 2028-29 and CA scheme of compartment number P313, P314 P314, P316, P317 which is given from 2021-22 to 2030-31. The user agency needs to be rectified the CA Scheme by the State Government.	आवेदक संस्थान के द्वारा कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत कक्ष क. पी312 रकबा 100 हे. एवं पी 318 रकबा 20 हे. वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन को संशोधित कर प्रस्तुत किया गया है साथ ही साथ वचन पत्र संलग्न है।
6	Undertaking to bear the cost of NPV is not submitted by the User Agency.	आवेदक संस्थान के द्वारा वचन पत्र संलग्न है।
7	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on Permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान के द्वारा प्रकरण में दिये गये दिशा निर्देश अनुसार मानव दिवस तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, संलग्न है।

S.No	MoEF&CC RO Raipur observation	Reply
8	Examination of the compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 revealed that proceedings of District level committee (s) of both Raigarh and Korba Districts have not been submitted, same needs to be submitted in accordance with clause (a) of Form-I annexed to the MoEF&CC advisory dated 5.07.2013.	आवेदक संस्थान के द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात एफ आर ए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्त बिन्दुओं को आवेदक संस्थान के द्वारा पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र प्रस्तुत की गई है, जिसे संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/तक.अ/

4378

- प्रतिलिपि - 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुरवृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
3. मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी, सी.ई.आर.एल/सी.ई.डब्ल्यू.आर.एल., CSIDC कॉम्प्लेक्स महादेव घाट रोड रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा, दिनांक

22/07/2022

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

Chhattisgarh East Railway Limited

(A Subsidiary of South Eastern Coalfields Limited)

Government of India Undertaking

CSIDC Commercial Complex,

Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk,

Raipur-492 013 (C.G)

CIN: U45203CT2013GOI000729

email: cerlcewrl@gmail.com

Phone: 0771-2970338

Ref No.: CERL/22-23/308

DATE: 12.05.2022

To,

Division Forest Officer,
Dharmjaigarh/ Vanmandal
District- Raigarh

Division Forest Officer,
Korba/Vanmandal
District- Korba

विषय:- Reply to observation made by MoEF&CC Regional Office, Raipur vide letter no FC-III/ ROCH-05/2022/674 dated 12.04-2022, Regarding

Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified Line from Urga to Dharmjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh., area - 157.035 ha. - regarding.

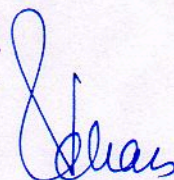
पंजीयन क्र. FP/CG/RAIL/32194/2018

Dear Sir,

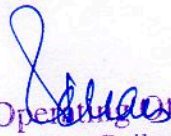
We wish to humbly submit our reply to the observation made by Regional office, Raipur with respect to 157.035 Ha Forest Diversion proposal of 62 KM long Urga Dharmjaigarh Railway Corridor.
Please find below our reply to each of the observation made in the RO Letter.

S.No	MoEF&CC RO Raipur observation	CERL Reply
1	DFO Dharmjaigarh has mentioned that proposed area is vulnerable for soil erosion. Accordingly soil and ground water conservation plan shall be prepared as required	CERL gives undertaking to prepare and implement soil and ground conservation plan in vulnerable areas along the proposed 62 Km long railway corridor from Urga to Dharmjaigarh (Copy Enclosed)
2	As per details of flora and fauna submitted along with the proposal, it is observed that area is inhabited by several Schedules-I and Critically Endangered species and frequent movement of Elephants have been reported by both Dharmjaigarh and Korba DFOs, and the proposed project lies in Elephant corridor as reported by CAMPA of Chhattisgarh Forest Department, and found that Lemru Hathi reserve area proposed within the distance of 03 km. accordingly,	CERL has submitted the wildlife conservation plan for approval to chief conservator of forest, Bilaspur circle and same has been recommended for approval to chief wildlife warden, Chhattisgarh forest department. Vide letter no 1125 dated 28-04-2022. The reference letter is herewith attached. (Copy Enclosed)

Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)



S.No	MoEF&CC RO Raipur observation	CERL Reply
	separate comments of PCCF (Wildlife) specifically on movement of elephants in area and impact of instant proposal on it along with mitigation Measures, if any thereof, need to be submitted. In this regard User agency shall need to submit the - wildlife Management plan, duly approved by Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh and Wildlife Clearance as required.	
3	DFOs concerned have not certified that survey number pertaining to the non-forest land involved in the proposal do fall in the category of deemed forest land on which provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable.	CERL has checked for deemed forest Patches in the non- forest Revenue land along the 62 KM long proposed railway corridor. As per the letter no 6682 dated 26.10-2021 from DFO Korba CERL wishes to submit khasra wise KML along with tree enumeration report for the Non- forest khasra . As per the criteria on "DEEMED Forest", none of the non-forest khasra (proposed for diversion) is bigger than 10 hectare in size and do not have 200 standing tree per hectare. (Copy Enclosed)
4	Proposed area forest density as per Part-II submitted online mentioned density of 0.5 in Dharamjaigarh Forest Division and 0.6 in Korba Forest Division. While the State Government in its forwarding letter has mentioned density as 0.1 to 0.5 in Dharamjaigarh Forest Division and 0.2 to 0.6 in Korba Forest Division. Discrepancy needs to be rectified by the State Government.	CERL will request the state government (Forest Department) to rectify the proposal recommendation regarding the density of forest Patches.
5	CA scheme of compartment number P312 and P318 which is given from 2019-20 to 2028-29 and CA scheme of compartment number P313, P314 P314, P316, P317 which is given from 2021-22 to 2030-31. The user agency needs to be rectified the CA Scheme by the State Government.	CERL wishes to resubmit the CA Scheme with correction regarding CA Scheme time period. The revised CA scheme will be for the ten year period starting in the year 2021-2022 ending in the year 2030-2031. (Copy Enclosed)


 Chief Operating Officer
 Chhattisgarh East Railway Ltd.,
 CSIDC Commercial Complex,
 2nd Floor, Raipura,
 Raipur (C.G.)

S.No	MoEF&CC RO Raipur observation	CERL Reply
6	Undertaking to bear the cost of NPV is not submitted by the User Agency.	CERL wishes to resubmit the undertaking to bear the cost of NPV and penal NPV. (Copy Enclosed)
7	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on Permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	CERL herewith encloses the details on employment potential, as per the guideline given, for the 62 Km long railway corridor from Uрга to Dharmjaigarh. (Copy Enclosed)
8	Examination of the compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 revealed that proceedings of District level committee (s) of both Raigarh and Korba Districts have not been submitted, same needs to be submitted in accordance with clause (a) of Form-I annexed to the MoEF&CC advisory dated 5.07.2013.	CERL will Request office of collector korba and raigarh to provide the DLC proceeding regarding FRA certificate. CERL request MoEF&CC to allow for the submission DLC proceeding after Forest Stage-1 FC. In this Regard CERL wishes submit and undertaking. (Copy Enclosed)

Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

[Signature] 12/5/22

राजेश खरे

मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी
सी.ई.आर.एल. / सी.ई.डब्ल्यू.आर.एल
CSIDC कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रतिलिपी :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधक / व.स.अ) रायपुर से की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

EDS Reply Sl.No. 1: Undertaking for Soil
and Water Conservation

Chhattisgarh East Railway Limited

(A Subsidiary of South Eastern Coalfields Limited)

Government of India Undertaking

CSIDC Commercial Complex,

Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk,

Raipur-492 013 (C.G)

CIN: U45203CT2013GOI000729

email: cerlcewrl@gmail.com

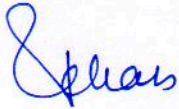
Phone: 0771-2970338

Undertaking for preparation and implementation of Soil & Water Conservation plan for the proposed 62km long Urga to Dharamjaygarh Railway Corridor

I, on behalf of the company (Chhattisgarh East Railway limited) hereby undertake that in-respect of preparation and implementation of Soil & Water Conservation plan, we will get the Soil & Water Conservation plan prepared by professional agency & implement the mitigation measures. We will also abide by the guidelines issued by State Forest Department for protection of vulnerable areas where soil erosion is likely to happen.

Place: Raipur

Date: 12/05/2022



Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

Rajesh Khare

Chief Operating Officer

Chhattisgarh East Railway Limited (CERL)

Authorised Signatory

EDS Reply Sl.No. 2: Letter Regarding
Wildlife Conservation & Management
Plan



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccfbilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1125

बिलासपुर, दिनांक 28.04.2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं (मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग.)
अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980
Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from
Urga to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in
Chhattisgarh, area- 157.035 ha. Regarding .

- संदर्भ :- 1. वनमण्डलाधिकारी कोरबा का पत्र क्र./तक./655, दिनांक 22.04.2022
2. वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्र./तक./625, दिनांक 22.04.2022

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि East Rail Corridor Phase-II Project Construction from Urga to Dharamjaigarh (Km 0 to 62) में प्रभावित 157.035 ha. वनभूमि के प्रकरण में वन्यप्राणी संरक्षण योजना "वी द फॉरेस्टर्स वेलफेयर सोसायटी" छ.ग. के द्वारा तैयार की गई है, वन्यप्राणी योजना Eco-Friendly measures to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife, (2016), Wildlife Institute of India Dehradun, India के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है, वन्यप्राणी संरक्षण योजना वनमण्डलाधिकारी कोरबा एवं धरमजयगढ़ के द्वारा अनुसंधान सहित प्रेषित की गई है, वन्यप्राणी योजना का परीक्षण कर अनुसंधान सहित अनुमोदन हेतु संप्रेषित है।

मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./2022/ 1126

/बिलासपुर, दिनांक 28.04.2022

प्रतिलिपि :-

- (1) अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध), अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा की ओर सूचनार्थ।
- (3) Chief Operating Officer C.G. East Railway Ltd. 2nd Floor CSIDC Commercial Complex Mahadev Ghat Road Raipur (C.G.) की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

EDS Reply Sl.No. 3: Non-Forest Land
Tree enumeration Khasra wise Report
& Check for Deemed Forest Criteria
(KML in soft copy ~~CD~~ attached) PAN Drive

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

का. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 6682
प्रति,

कोरबा, दिनांक 26/10/2021

1. उपवनमण्डलाधिकारी
उत्तर /दक्षिण कोरबा उपवनमण्डल

2. वन परिक्षेत्राधिकारी
कोरबा /करतला परिक्षेत्र

विषय :- Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980
Proposed for East Rail Curridor Project Construction of New BG Electrified Line from
Urga to Dharmjaigarh from KM 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh
Area 157.035 ha.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/RAIL/22194/2018

- संदर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र. 2182 दिनांक 02.09.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र. /तक.अ./5242 कोरबा दिनांक 12.08.2021
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र. /तक.अ./6029 कोरबा दिनांक 27.09.2021

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर परियोजना अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. रेल लाईन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें कोरबा वनमण्डल अंतर्गत 59.368 हे. (राजस्व वनभूमि 35.885 हे., आरेंज एरिया 16.242 हे. एवं संरक्षित वन 7.241 हे.) हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव 44 बिन्दुओं में प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई है।

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र. 16-10-सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 के द्वारा याचिका क्रमांक 202/95- श्री गोदावर्मन विरुद्ध भारत शासन एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 को पारित अंतरिम आदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के संदर्भ को परिभाषित किया गया है जिसमें बिन्दु क्र. 2 शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" का तात्पर्य ऐसे वृहद् क्षेत्र से है जहां खेती नहीं होती हो और जो वृक्षों एवं झाड़ी आदि से आच्छादित हो, निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शब्दकोषीय अर्थ के रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 हेक्टेयर एवं उससे बड़े चक को, जहां औसतन 200 या अधिक वृक्ष प्रति हेक्टेयर है, उसे "वन" माना जावे का निर्देशित किया गया है।

उक्त पारित आदेश अनुसार ईस्ट रेल कारिडोर परियोजना अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. रेल लाईन निर्माण में प्रभावित क्षेत्र का मौका निरीक्षण करते हुये जांच प्रतिवेदन तैयार कर एवं आपको प्रेषित की गई प्रस्ताव एवं नक्शा में हस्ताक्षर कर तत्काल 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रस्ताव प्रधानमंत्री की पोर्टल में दर्ज है। अतः नियमित समीक्षा की जा रही है। शीघ्र मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन दे।

सहपत्र - मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

का पत्र क्र. 16-10-सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 की छायाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-462 004

क्र. 16-10-सात/2-ए/190

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1997

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विविध याचिका क्रमांक 202/95—श्री गोदावर्मेन विरुद्ध भारत शांतिन एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-96 को पारित अंतरिम आदेश के पालन में अग्रिम कार्यवाही.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-96 की पारित अंतरिम आदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संदर्भ में "वन" को पारिभाषित किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार :—

1. "वन" का तात्पर्य शब्दकोष में दिये गये अर्थ से लिया जाना है.
2. "वाभूमि" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि से है जो कि शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" है.
3. उपरोक्त में ऐसी भूमि भी शामिल होगी जो कि शासकीय अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उसका स्वामित्व किसी प्रकार का भी हो.

2. शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" का तात्पर्य ऐसे वृहद् क्षेत्र से है जहाँ खेती नहीं होती हो और जो वृक्षों एवं झाड़ी आदि से आच्छादित हो. निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शब्दकोषीय अर्थ के रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 हेक्टेयर एवं उससे बड़े चक को, जहाँ औसतन 200 या अधिक वृक्ष प्रति हेक्टेयर हैं, उसे "वन" माना जावे.

3. सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दिनांक से दो माह के भीतर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है. इस हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :—

(1) "वन" की पहचान (वन विभाग के नियंत्रण के बाहर स्थित क्षेत्र) :

इस हेतु पैरा 2 में वर्णित परिभाषा को आधार मानते हुए वनों की पहचान की जाना है. जानकारी संकलित करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि चिह्नित स्थान पर पैरा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार वन स्थित हो, चाहे अभिलेखों में जो भी इन्द्राज हो.

इस जानकारी में राजस्व भूमि, न्यास, संस्थाओं अथवा एक या एक से अधिक भूमि स्वामी की एक चक में स्थित भूमि सम्मिलित होगी. यह जानकारी पटवारी अभिलेखों एवं ग्राम के मानचित्र से संकलित की जा सकती है तथा इसके लिए मिस्तर पत्रक एवं पांचसाला खसरे की सहायता ली जा सकती है एवं संबंधित पटवारी अपने अनुभव एवं स्थानीय जानकारी के आधार पर इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. यह जानकारी संलग्न प्रपत्र एक में संकलित की जायेगी.

(II) बिगड़े वन क्षेत्रों की पहचान (वन विभाग के नियंत्रण के बाहर स्थित क्षेत्र) :

इस में ऐसे रकबों की जानकारी संकलित की जाना है जो कि शासकीय अभिलेखों में वन के रूप में, जैसे छोटे, बड़े झाड़ के जंगल आदि के रूप में दर्ज हैं, किन्तु जिनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार वन बिगड़े हुए हों, निर्वनीकृत अथवा वन काट डाले गये हों। यह जानकारी अभिलेखों एवं स्थानीय जानकारी के आधार पर एकत्रित की जा सकती है। इस जानकारी में भी शासकीय भूमि के अतिरिक्त न्यासों, संस्थाओं एवं भूमि स्वामियों की भूमि भी सम्मिलित रहेगी जो कि वन/जंगल आदि के रूप में दर्ज है। यह जानकारी संलग्न प्रपत्र दो में संकलित की जायेगी।

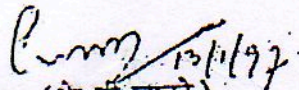
(III) निजी स्वत्व के क्षेत्रों पर रोपण (Plantating) की जानकारी :

इस जानकारी में उन क्षेत्रों को सम्मिलित करना है जो कि पांच हेक्टेयर या अधिक के हों तथा निजी व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि, स्वामी हक की भूमि, न्यासों, संस्थाओं एवं पंचायतों के प्रबंधन की भूमि पर वानिकी प्रजातियों का रोपण किया गया हो। यह जानकारी प्रपत्र तीन में संकलित की जायेगी। इस पत्रक में उद्यानिकी के अंतर्गत रोपित फलदार वृक्षों के वृक्षारोपण की जानकारी सम्मिलित नहीं की जाना है।

4. चूंकि उपरोक्त सभी जानकारी अभिलेखों एवं स्थानीय जानकारी के आधार पर एकत्रित की जाना है। यह उचित होगा कि आप अपने अधीनस्थ तहसीलदारों को एक निश्चित कार्यक्रम देकर समस्त पटवारियों को अभिलेख सहित तहसील कार्यालय में बुलवाकर उक्त जानकारी संकलित कराएँ। इस हेतु जिले में पदस्थ भू-अभिलेख अधीक्षकों की सहायता भी ली जाये। इसके अतिरिक्त "घनी" की पहचान करने के संबंध में यदि कोई कठिनाई आपको महसूस होती है तो जिले में पदस्थ वनमण्डलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है जो परिभाषा के अनुत्पन्न क्षेत्रों की पहचान एवं वर्गीकरण में सहायता करेंगे।

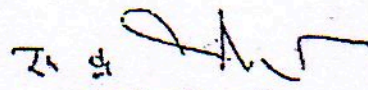
5. उक्त कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना है, इसलिए की जा रही कार्यवाही की प्रगति एवं संतुष्ट पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक है। पर्यवेक्षण के कार्यों को जिले में पदस्थ वनमण्डलाधिकारी, अधीक्षक, भू-अभिलेख अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की जा सकती है।

6. संकलित की गई विस्तृत जानकारी की एक प्रति जिलाध्यक्ष कार्यालय में रखी जायेगी एवं संकलित जानकारी तथा इसका गोशायर संलग्न प्रपत्र चार में दिनांक 5-2-97 तक, सचिव, राजस्व को जिले के अधीक्षक, भू-अभिलेख व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करेंगे। सचिव, राजस्व की संतुष्टि उपरान्त ही अधीक्षक, भू-अभिलेख मुख्यालय वापिस लौटेंगे। इस बीच कार्य की प्रगति के संबंध में एक अंतरिम प्रतिवेदन दिनांक 25-1-97 तक, विशेष वाहक द्वारा सचिव, राजस्व को प्रस्तुत की जायेगी। यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निश्चित समय-सीमा में संपादित की जाना है। अतः समयबद्ध कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखा जाये जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।


(**म. टी. चाको**)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.



(**ए. के. श्रीवास्तव**)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

धरमजयगढ़					
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टे में)	वृक्षों की संख्या	रिमार्क
					Deemed Forest - Yes or No (>200 Trees/Hectare)
1	महाराजगंज	714	1.458	103	No
		713/2/1	0.165	42	No
		716/3	0.305	9	No
		717/2	0.032	2	No
		713/5/2	0.065	7	No
2	धसकामुड़ा	460/1	0.021	0	No
		461/12	0.324	32	No
		460/2	0.51	0	No
		481	0.276	53	No
		460/3	0.506	56	No
		461/11	0.178	0	No
		480	0.242	25	No
		484/2	0.101	42	No
		486/1	0.061	2	No
		486/2	0.068	10	No
		487/1	0.22	13	No
		487/2	0.221	13	No
		488/2 क	0.061	0	No
		488/4 ग	0.085	28	No
		488/2 ख	0.056	0	No
		488/4 घ	0.085	28	No
		488/3	0.405	29	No
		488/4 क	0.062	1	No
		488/4 ख	0.062	1	No
		488/5	0.55	27	No
3	जोगड़ा	479/2	0.135	12	No
		504/1	0.182	0	No
		505/2	0.081	37	No
		480/4	0.04	6	No
		541/8	0.122	14	No
		480/2	0.132	6	No
		505/1	0.137	4	No
		478/2	0.264	13	No
		809	0.157	54	No
		810	0.407		No
		764/3	0.137	4	No

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला रायगढ़ (छ.प्र.)

CEBI
उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

धरमजयगढ़					
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टे में)	वृक्षों की संख्या	रिमार्क
					Deemed Forest - Yes or No (>200 Trees/Hectare)
		605/1	0.117	9	No
		605/2/ क	0.056		No
		605/3/ क	0.049		No
		714/3	0.098		No
		734/1	0.139	4	No
		733/2	0.345	4	No
		732	0.235	3	No
		754/2	0.121	10	No
		755/3/ क	0.101		No
		755/2	0.024	2	No
		812/2/ क	0.041		No
		603/1	0.145	2	No
		603/2	0.21	3	No
		714/1/ क	0.116	7	No
		717/2			No
		716/2			No
		546	0.041	2	No
		471	0.084	14	No
		940/1	0.122		No
		594	0.075	2	No
		714/1/ड	0.18		No
		714/2/ड		6	No
		806/2	0.150	64	No
		937/2	0.120	11	No
		544/2	0.138	9	No
		757/3	0.101	36	No
		813/2		0	No
		813/3		0	No
		813/4		0	No
		938/1	0.447	39	No
		941/2	0.108	42	No
		938/2	0.508	28	No
		960/1	0.16	11	No
		755/6/क	0.029	4	No
		755/6/ख	0.018	6	No
		755/6/ग	0.028	0	No

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला रायगढ़ (उ.प्र.)

CERI B8
उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छात परिक्षेत्र

धरमजयगढ़					
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टे में)	वृक्षों कि संख्या	रिमार्क
					Deemed Forest - Yes or No (>200 Trees/Hectare)
		757/2/घ	0.033	13	No
		755/3/घ	0.037	4	No
		757/2/ग	0.033	6	No
		755/3/ग	0.037	0	No
		757/2/ड	0.032	7	No
		755/3/ख	0.036	0	No
		934/1	0.38	52	No
		712/1	0.053	0	No
		713/1		7	No
		479/1	0.378	4	No
3.1	जोगड़ा	473/1 से	0.061	34	No
		474/1 से	0.075		No
		727	0.020	2	No
		755/4	0.268	6	No
		935/3	0.407	37	No
		961/1	0.101	0	No
		960/3	0.310	0.000	No
		961/3	0.253	16	No
		714/1/ग	0.106	17	No
		714/1/घ	0.101		No
		714/1/च	0.101		No
		716/1/ग	0.101	26	No
		716/1/क	0.202		No
		730/2	0.210		No
4	हाटी	1296 / 1	0.133	2	No
		1288	0.061	3	No
		1285 / 1	0.38	4	No
		1309 / 2	0.104	22	No
		1297 / 6	0.024	4	No
		1298 / 2		0	No
		954 / 21	0.121	7	No
		954 / 20	0.41	103	No
		961	0.27		No
		954 / 16	0.202		No
		957 / 2	0.089	3	No

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला रायगढ़ (छ.म.)

CERT
उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

धरमजयगढ़					
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टे में)	वृक्षों कि संख्या	रिमार्क
					Deemed Forest - Yes or No (>200 Trees/Hectare)
		884	0.11	38	No
		887/6/क	0.132		No
		887/8/क	0.162		No
4.1	हाटी	366/24/त से	0.230	14	No
		366/24/थ से			No
		887/21 से	0.038	0.000	No
		1295 से	0.062	4	No
		1294/2/2	0.032		No
		1298/3 से	0.061	12	No
		869/13 से	0.049		No
		963/1 से	0.162	76	No
		963/2 से	0.069	157	No
		954/18/क से	0.203		No
		954/12/ख से	0.024	7	No
		954/12/ग से	0.020		No
		960/1/ग/2	0.023		No
		954/17	0.506	22	No
		962/2	0.121	8	No
		969/6 से	0.072		No
5	सिथरा	17/5ख	0.349	12	No
		20/3	0.324		No
		28/5/क	0.222	20	No
		28/2/ख	0.284		No
		965/38	0.526	5	No
		967	0.109		No
		965/41/ख	0.623		No
		965/24	0.125	3	No
		964/3	0.104	5	No
		965/21	0.26	1	No
		964/1	0.29	12	No
		720/2	0.101		No
		720/8	0.162	14	No
		721	0.129		No
		720/11	0.097	26	No
		697/1	0.045	8	No
		611/2	0.15	20	No

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला रायबढ़ (छ.प्र.)

CERL उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाता परिक्षेत्र

धरमजयगढ़					
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टे में)	वृक्षों की संख्या	रिमार्क
					Deemed Forest - Yes or No (>200 Trees/Hectare)
		611/1	0.1	5	No
		609/1	0.242	20	No
		618/2	0.182	18	No
		1693/2	0.315	24	No
		1701/2	0.162		No
		1704	0.086		No
		1705/5	0.073		No
		1369/9	0.202	20	No
		1369/15	0.397		No
		965/3घ	0.16	30	No
		613	0.12	17	No
		677/2	0.12	10	No
		688	0.174	21	No
		692	0.239	24	No
		1706	0.045	5	No
		597/2	0.081	10	No
		1697/1	0.338		No
		1699	0.032		No
		965/49	0.101	50	No
		501/26	0.769		No
6	खड़गांव	1288/5	0.045	30	No
		1286/1	0.106		No
		1304/4	0.032		No
		1288/1	0.106	30	No
		1286/3	0.016		No
		1281/1	0.016		No
		1283/3	0.02		No
		1304/1	0.309	36	No
		543/26	0.385	11	No
		543/25	1.275	45	No
		82/2	0.121	6	No
		562/3	0.34	22	No
		81/2	0.292	3	No
		89/1 घ	0.55	20	No
		543/1 ग	0.289	58	No
		543/24	0.142	6	No
		1305	0.547	41	No

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला रायचूर (छ.ब.)

CERI
उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

धरमजयगढ़					
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टे में)	वृक्षों की संख्या	रिमार्क
					Deemed Forest - Yes or No (>200 Trees/Hectare)
		1304/3	0.141	27	No
		543/23	0.34	2	No
		667/1 ख	0.032	10	No
		1282/3	0.427	16	No
		1282/2	0.809	21	No
		1283/1	0.324	0	No
		1282/1	0.809	18	No
		1284	0.086		No
		561/2	0.008	17	No
		560/2	0.303	0	No
		560/1	0.08	10	No
		667/100क	0.64	0	No
		667/100ग	0.542	98	No
		667/100ख	0.29	42	No
7	कोईलार	377/1	0.057	11	No
		377/2	0.202	9	No
		385/2 क	0.304	9	No
		385/2 ख	0.121	6	No
		387/5 क	0.101	3	No
		387/5 ख	0.101	10	No
8	बायसी कालोनी	367/1	0.243	0	No
		367/2	0.235	7	No
		368/2	0.178		No
		368/1	0.405	39	No
		375	0.948	3	No
		392	0.575	4	No

B8
उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल
धरमजयगढ़

AR5
वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल
जिला रायगढ़ (छ.ब.)

CERL

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर परियोजना (उरगा से धरमजयगढ़) फेस-II के अंतर्गत प्रभावित निजी वृक्षों की सूची						
कोरबा						
क.	ग्राम का नाम	ख.न.	क्षेत्रवार रकबा (हेक्टे में)	योग कुल रकबा	मीके पर वृक्षों की संख्या	रिमाक deemed Forest
1	2	3	4		5	7
1	गिछौरी	1/7 13/2	0.077 0.287	0.364	1	NO
		1/13	0.073	0.073	4	NO
		1/5	0.101	0.101	1	NO
		15	0.142	0.142	1	NO
		14	0.134	0.134	1	NO
		45	0.146	0.146	1	NO
		108/1	0.190	0.190	21	NO
		108/4	0.036	0.036	14	NO
		108/3	0.223	0.223	28	NO
		47/6	0.089	0.089	8	NO
		51	0.150	0.150	13	NO
		53/1	0.030	0.030	19	NO
		77/2	0.081	0.081	11	NO
		79	0.028	0.028	5	NO
		78 84	0.158 0.158	0.316	7	NO
		98 99	0.057 0.045	0.102	16	NO
		81/2	0.137	0.137	14	NO
		81/1	0.320	0.320	16	NO
		77/1	0.081	0.081	82	NO
		106/1	0.061	0.061	9	NO
		105	0.065	0.065	14	NO
2	डोंगदरहा	673	0.234	0.234	68	NO
		672	0.482	0.482	0	NO
		676/10	0.635	0.635	52	NO
		671	0.340	0.340	29	NO
		676/12	0.016	0.016	0	NO
		664/5	0.008	0.008	0	NO
		676/17	0.024	0.024	0	NO
		664/7	0.344	0.344	30	NO
		676/13	0.121	0.121	5	NO
		664/4	0.085	0.085	0	NO
		664/6	0.142	0.142	0	NO
		676/8, 675/1	0.470	0.470	98	NO
		676/7	0.008	0.008	4	NO
		664/1	0.121	0.121	25	NO
3	देवरमाल	816/2, 818/1	0.073	0.073	2	NO
		819/1	0.077	0.077	1	NO
		816/1	0.020	0.020	4	NO
		822/1	0.073	0.073	1	NO
		821/1	0.008	0.008	1	NO
		822/2	0.081	0.081	1	NO
		815/1	0.073	0.073	1	NO
		822/3	0.105	0.105	4	NO
		823/1	0.121	0.121	9	NO
		823/2	0.121	0.121	0	NO
		746/6	0.036	0.036	6	NO
		746/7	0.198	0.198	6	NO
		814/5	0.049	0.049	1	NO
		746/13	0.134	0.134	1	NO
		745/6	0.105	0.105	1	NO
4	दादरकला	961/2	0.101	0.101	1	NO
		974/3	0.049	0.049	1	NO
		970	0.045	0.045	5	NO
5	होगाखामा	343/14	0.295	0.295	3	NO
		336/1 337/1 343/3 335	0.162 0.096	0.258	58	NO
		319/2				
		320/2	0.629	0.629	49	NO
		331/2 334				
		182/6	0.142	0.142	2	NO
		181/1	0.260	0.260	9	NO
		182/4	0.242	0.242	5	NO
		181/2 182/2 180/4 200/11 183/2	0.324 0.304 0.162 0.036	0.826	36	NO
		180/3 197/5 199/5 200/8	0.303 0.312	0.615	25	NO
		200/10	0.680	0.680	60	NO
		171 160/2	0.283 0.557	0.840	99	NO
		169 146 147	0.405 1.011 0.133	1.549	45	NO
		184	1.133	1.133	26	NO
		200/4 137/1 199/1 200/5 92/3	0.021 0.299 0.012	0.332	29	NO

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरबा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कन्तरवा परिक्षेत्र

		197/6 199/6 200/9	0.032	0.032	10	NO
		307/2 309/2 310 311/3	0.352	0.352	107	NO
		200/3	0.324	0.324	18	NO
		203/2 256	0.146 0.243	0.389	27	NO
		200/2	0.101 0.405	0.506	13	NO
		210/1 158/4				
		222	0.291	0.291	59	NO
		206/2 207/1 208/1 209/2 221/2	0.243	0.243	23	NO
		206/11 207/1 208/2 209/4 221/8	0.121	0.121	2	NO
		227 223	0.121 0.101	0.222	25	NO
		224 316/1 319/1 318/1 318/2	0.068 0.093 0.068 0.174 0.105	0.508	40	NO
		196	0.364	0.364	33	NO
		197/2 199/2 200/1 201 204/1				
		12/1	0.405	0.405	28	NO
		13/1				
		14/1				
		1/11	0.101	0.101	55	NO
		1/19	0.056	0.056	43	NO
		161/1 164	0.206	0.206	4	NO
		161/2	1.141	1.141	79	NO
		162/1				
		163/1				
		64/1				
		165/1				
		64/2				
		65/1				
		158/3	0.385	0.385	3	NO
		159/1				
		55/1				
		56/2				
		60/2	0.202 0.266	0.468	3	NO
		61/2 65/2				
		58/3				
		56/3				
		56/1	0.652 0.599	1.251	105	NO
		58/2 61/2				
		258/1				
		258/2 259				
		257/1	0.089	0.089	8	NO
		257/2	0.093	0.093	4	NO
		261 262 265	0.049	0.049	9	NO
		255/5	0.486	0.486	14	NO
		311/4 316	0.331	0.331	25	NO
		304/2 311/1 312/1	0.870	0.870	95	NO
		316/3 316/4 225/1	0.089 0.073 0.089	0.251	49	NO
		316/5 316/6 1/12	0.089 0.061 0.041	0.191	26	NO
		193/1 193/2 198/2	0.142 0.263 0.162	0.567	201	NO
		196/4 199/4 200/7	0.121	0.121	7	NO
		255/4	0.029	0.029	7	NO
6	केरवाहारी	3/2 12 16 6/2	1.198 0.364 0.360 0.413	2.335	493	NO
		307/1	0.263	0.263	22	NO
		307/2	0.202	0.202	15	NO
		306/1	0.101	0.101	20	NO
		306/2	0.162	0.162	49	NO
		306/3	0.121	0.121	33	NO
		310/2	0.089	0.089	2	NO
		312	0.607	0.607	113	NO
		313/2				
		125/1 cha	0.081	0.081	20	NO
		125/1 chha	0.138	0.138	35	NO
		314/2	0.016	0.016	2	NO
7	बोड़ाझाप	22/2	0.405	0.405	13	NO
		26/1	0.202	0.202	77	NO
		32/3	0.101	0.101	2	NO
		27/1 59/1 63/1 4/1 4/3 4/5	0.101 0.279 0.109 0.239 0.028 0.053	0.809	94	NO
		27/2	0.061	0.061	10	NO
		69/4	0.324	0.324	31	NO
		28	0.162	0.162	17	NO
		55	0.202	0.202	22	NO
		42/1	0.405	0.405	95	NO
		15/1 16/1 44/2	0.021 0.012 0.021	0.054	2	NO
		42/2	0.063	0.063	17	NO
8	सेन्डीपाली	198	0.287	0.287	4	NO
		199	0.178	0.178	5	NO
		200 299/3 410 415 423	0.028 0.012 0.081 0.121	0.242	58	NO
		201	0.113	0.113	3	NO
		203/1 807/1	0.425 0.129	0.554	29	NO
		203/2	0.251	0.251	1	NO
		207/1	0.085	0.085	2	NO
		208	0.263	0.263	4	NO

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरवा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
करतला परिक्षेत्र

		220	0.243	0.243	2	NO
		221	0.178	0.178	2	NO
		222 414 446/3	0.227 0.069 0.020	0.316	13	NO
		235 445 455	0.429 0.12 0.12	0.669	86	NO
		238	0.142	0.142	7	NO
		295 424 449 810	0.202 0.081 0.061 0.004	0.348	11	NO
		296 297 299/1 372/2	0.409	0.409	15	NO
		298/2	0.121	0.121	15	NO
		315/3 316/2	0.028	0.028	1	NO
		317/1	0.219	0.219	22	NO
		323/1	0.040	0.040	10	NO
		323/3	0.040	0.040	10	NO
		323/4	0.040	0.040	9	NO
		323/5	0.040	0.040	9	NO
		323/6	0.040	0.040	10	NO
		412 413	0.141 0.093	0.234	2	NO
		425 426 446/2	0.097 0.142 0.219	0.458	12	NO
		427 807/2	0.150 0.263	0.413	5	NO
		428/1	0.198	0.198	29	NO
		429/1				
		428/2				
		429/2	0.198	0.198	23	NO
		447	0.210	0.210	4	NO
		450	0.133	0.133	11	NO
		308				
		749/2				
		750	0.198	0.198	7	NO
		749/4	0.121	0.121	18	NO
		797				
		799				
		302/2	0.032	0.032	1	NO
		303	0.206	0.206	41	NO
		305/1				
		305/2				
		305/3 312/1 312/2	0.635	0.635	44	NO
		306	0.275	0.275	10	NO
		313/2	0.323	0.323	61	NO
		313/4				
		313/3				
9	बांधापाली	181/1	0.210	0.210	15	NO
		182/4	0.012	0.012	2	NO
		182/5 182/16 211/1	0.049	0.049	1	NO
		182/12	0.194 0.101 0.081	0.376	27	NO
		185/1ka	0.526	0.526	1	NO
		185/1 kha	0.198	0.198	7	NO
		185/1ang 357/2	0.125	0.125	2	NO
		187 208	0.376 0.548	0.924	7	NO
		211/2	0.032 0.437	0.469	45	NO
		223/1	0.215	0.215	11	NO
		211/4				
		214/2 215/1 217/1				
		214/3 215/3	0.061	0.061	1	NO
		215/2 216/1	0.178 0.384	0.562	46	NO
		216/3 216/5	0.214	0.214	8	NO
		218/2 307/6 330 410/1 ga 460/2	0.283	0.283	12	NO
		219	0.162 0.016	0.178	1	NO
		363	0.271 0.259 0.081	0.611	15	NO
		223/2 357/5	0.202	0.202	5	NO
		358/3 328	1.169	1.169	64	NO
		358/6 327 334 335/2 358/1	0.032 0.263	0.295	7	NO
		366	0.049 0.303	0.352	35	NO
		223/3 357/8	0.534 0.004 0.105 0.057 0.239	0.939	17	NO
		252/3	0.040	0.040	18	NO
		271	0.032 0.063	0.095	3	NO
		272	0.105	0.105	6	NO
		304/1 307/1	0.040	0.040	5	NO
		305 306 329/3	0.012	0.012	2	NO
		307/2 329/1 331/1	0.008 0.049	0.057	13	NO
		329/2	0.020 0.024 0.040	0.084	9	NO
		357/2	1.019	1.019	15	NO
		407/4	0.008	0.008	8	NO
		465/1 465/7 465/12 465/13	0.356	0.356	2	NO
		465/3	1.125	1.125	38	NO
		1/4	0.522 0.328 0.465 0.061	1.376	15	NO
10	फततेगंज	1172/3	0.708	0.708	9	NO
11	धिनारा	1176	0.486	0.486	60	NO
		1183	0.405	0.405	60	NO
		1175/2	0.210	0.210	17	NO
		1177	0.202	0.202	6	NO
			0.182	0.182	8	NO
			0.206	0.206	11	NO

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरबा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कस्तुरा परिक्षेत्र

		1179	0.162	0.162	10	NO
		1180	0.210	0.210	3	NO
		1182	0.053	0.053	6	NO
		1209/1	0.154	0.154	2	NO
		1210/2	0.137	0.137	9	NO
		1212/2	0.032	0.032	24	NO
		1214/1	0.153	0.153	2	NO
		1201/1	0.138	0.138	2	NO
		1213/2	0.081	0.081	10	NO
		1202/2	0.081	0.081	12	NO
		1204/2	0.218	0.218	13	NO
		1212/1	0.243	0.243	13	NO
		1215/1	0.065	0.065	7	NO
12	पिडिया	196	0.708	0.708	84	NO
		197	0.817	0.817	77	NO
		198/1	1.437	1.437	93	NO
		198/2	0.134	0.134	13	NO
		201/3	0.194	0.194	9	NO
		851/1	0.324	0.324	97	NO
		832/1	0.295	0.295	12	NO
		832/2	0.049	0.049	3	NO
		831	0.053	0.053	59	NO
		1180	0.469	0.469	24	NO
		1189/1	0.425	0.425	118	NO
		800/1	0.227	0.227	1	NO
		800/2	0.081	0.081	21	NO
		848/2	0.198	0.198	25	NO
		850	0.275	0.275	24	NO
		851/2	0.376	0.376	16	NO
		852	0.077	0.077	36	NO
		1183/1	0.129	0.129	53	NO
		830/2	0.567	0.567	112	NO
		833	0.178	0.178	1	NO
		837	0.081	0.081	11	NO
		847/2	0.202	0.202	26	NO
		1183/2	0.121	0.121	17	NO
		847/3	0.194	0.194	6	NO
		1179/3	0.121	0.121	10	NO
		848/1	0.162	0.162	20	NO
		1189/2	0.939	0.939	115	NO
		848/4	0.170	0.170	5	NO
		848/5	0.121	0.121	20	NO
		1186/8	0.024	0.024	4	NO
		1101/1	0.279	0.279	37	NO
		1122	0.247	0.247	1	NO
		1123	0.243	0.243	4	NO
		1126/7	0.170	0.170	3	NO
		1156, 1157	0.599	0.599	75	NO
		1159/1, 1160/1, 1161, 1169	0.809	0.809	10	NO
		1154/1	0.668	0.668	9	NO
		1181/1	0.712	0.712	16	NO
		1162, 1168	0.364	0.364	2	NO
		1187	0.020	0.020	21	NO
		1186/3	0.222	0.222	12	NO
		1186/7	0.243	0.243	11	NO
		1186/9	0.405	0.405	12	NO
		1189/3	0.445	0.445	82	NO
13	टेंगनमार	31/2	0.648	0.648	8	NO
		69				
		71				
		75/3	0.235 0.113 0.172 0.520	1.040	69	NO
		70				
		75/1				
		76/1				
		77				
		197				
		198	0.726 0.081 0.226	1.033	9	NO
		199/2				
		73				
		392/2				
		395				
		454	0.049 0.603	0.652	24	NO
		388/1				
		476/1	0.032 0.540	0.572	8	NO
		388/2	1.162	1.162	36	NO
		439				

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरेवा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कस्तुरा परिक्षेत्र

		440	0.461 0.364 0.020 0.085	0.930	7	NO
		232				
		190/2				
		387				
		453				
		201	0.036 0.891	0.927	6	NO
		206				
		204/2	0.008 0.041	0.049	10	NO
		443				
		190/1	0.547	0.547	8	NO
		224/1	0.198	0.198	1	NO
		231/1	0.567	0.567	37	NO
		401/1	0.425	0.425	3	NO
		392/1	0.008 0.157	0.165	14	NO
		441				
14	जोगीपाली	208/1	0.230 0.032	0.262	75	NO
		210/2				
		534/1				
		562				
		570				
		205	0.134 1.567 0.041 0.214 0.101	2.057	56	NO
		206				
		214/2				
		241/1				
		242/1				
		243				
		244/1				
		242/2				
		246	0.450	0.450	19	NO
		207				
		208/5	0.283	0.283	13	NO
		210/3				
		214/1				
		215				
		216/1	0.328 0.210 0.113 0.121	0.772	17	NO
		201/2				
		202				
		217/2				
		291				
		524/2				
		535				
		536	0.016 0.179 0.081	0.276	32	NO
		574				
		236/3				
		237/1				
		240/1				
		247	0.065	0.065	6	NO
		254/1				
		240/2	0.016	0.016	5	NO
		256				
		257	0.061	0.061	6	NO
		258				
		308/1	0.539	0.539	7	NO
		303				
		304/2				
		305/2	0.146	0.146	20	NO
		318/1				
		318/2	0.129	0.129	15	NO
		513	0.206	0.206	6	NO
		514	0.461	0.461	25	NO
		520				
		515	0.032 0.073	0.105	2	NO
		219/1				
		222				
		236/2	0.077 0.316 0.085	0.478	4	NO
		241/2				
		216/2				
		217/1				
		218				
		571	0.142 0.061 0.365	0.568	42	NO
		572/2				
		219/3				
		508/2				
		523/1				
		528/2				
		526/2				
		527/2				
		528				
		529				
		530/1				

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरबा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कस्तुरा परिक्षेत्र

		531/2				
		532/2	0.061 0.089	0.150	11	NO
		530/2	0.234	0.234	32	NO
		831/1		0.000		NO
		531/3	0.210 0.145	0.355	13	NO
		532/3				
15	नोनदरहा	6	0.421	0.421	5	NO
		63	0.921	0.921	50	NO
		62	0.020	0.020	31	NO
		71	0.255	0.255		NO
		70	0.190	0.190	10	NO
		75/1				
		76/1	0.061	0.061	9	NO
		60	0.202	0.202	101	NO
		66	0.701	0.701		NO
		67/1	1.027	1.027		NO
		61	0.321	0.321	107	NO
		67/2	0.797	0.797		NO
		828	0.081	0.081		NO
16	चारमार	1180/1	0.061	0.061	3	NO
		1183/5				
		1178	0.081	0.081		NO
		1180/2,1181,1183/4	0.486	0.486	1	NO
		1151/2 1152,1154,1154/1	1.103	1.103		NO
		1183/2	0.121	0.121		NO
		726	0.142	0.142	23	NO
		1183/3 1186 1190/1 1192/2 1149/2 1150 1154/2 815	0.020 0.117 0.190 0.052	0.379	2	NO
		1187/3				
		1188/1	0.206	0.206		NO
		1068	0.125	0.125		NO
		1189/1				
		1161/1	0.134	0.134	17	NO
		1168/2	0.692	0.692		NO
		1064				
		800	0.283	0.283	16	NO
		806				
		808				
		809	0.980	0.980		NO
		1070				
		1071	0.089	0.089	51	NO
		1080/1	0.036	0.036	1	NO
		1080/2	0.032	0.032	2	NO
		1069				
		1142/2	0.061	0.061	3	NO
		1143				
		1153				
		1197/3, 1198/2	0.274	0.274		NO
		1091, 1101/2				
		1161/2	0.162	0.162	2	NO
		1162/1	0.069	0.069		NO
		1187/1	0.061	0.061	2	NO
		1102				
		1144				
		1145	0.024	0.024	30	NO
		1146/1				
		1149/1				
		1151/1				
		1188/2	2.187	2.187		NO
		1189/2				
		1190/2				
		1067/2	0.350	0.350		NO
		1187/1	0.125	0.125	1	NO
		1066/1	0.243	0.243		NO
		1187/4	0.125	0.125	2	NO
		807				
		1120/2	0.311	0.311	2	NO
		1121				
		1124/2	0.101	0.101		NO
		1160				
		1161/3	0.057	0.057		NO
		1079	0.182	0.182	1	NO
		756	0.579	0.579	27	NO
		752				
		753/2	0.125	0.125	11	NO
		757/1	0.162	0.162		NO
		1119/1	0.081	0.081	1	NO
		1119/3				

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरबा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
करतला परिक्षेत्र

17	मदवानी	U.001	U.001		NU
	1986	0.020	0.020	81	NO
	2044	0.494	0.494		NO
	2043	0.024	0.024		NO
	2084	0.239	0.239		NO
	2053	0.198	0.198		NO
	2042	0.073	0.073	6	NO
	2123	0.089	0.089		NO
	2060, 2061				
	2130	0.081	0.081		NO
	2131				
	2136	0.413	0.413	37	NO
	2128	0.789	0.789	34	NO
	2048/4	0.049	0.049	1	NO
	2157/5	0.020	0.020		NO
	2083	0.259	0.259	21	NO
	2070	0.020	0.020	5	NO
	2071	0.004	0.004		NO
	2052	0.032	0.032	1	NO
	2158/2				
	2021	0.081	0.081	1	NO
	2022				
	2023	0.356	0.356		NO
	2024				
	2025	0.409	0.409		NO
	2159/1				
	2160	0.016	0.016		NO
	2030	0.004	0.004	17	NO
	2031	0.040	0.040		NO
	2037	0.028	0.028		NO
	2180	0.146	0.146	17	NO
	2189	0.146	0.146	23	NO
	2192	0.113	0.113		NO
	2190	0.113	0.113	2	NO
	2193/1	0.065	0.065	4	NO
	2270	0.421	0.421	16	NO
	2133				
	2134	0.275	0.275	60	NO
	2142	0.445	0.445		NO
	2193/2	0.065	0.065	5	NO
	2194/2	0.057	0.057	8	NO
	2195	0.053	0.053	11	NO
	2141	0.024	0.024	14	NO
	1980	0.299	0.299		NO
	2047	0.069	0.069		NO
	1982	0.020	0.020		NO
	1881/6	0.032	0.032		NO
	2081	0.081	0.081	7	NO
	2082				
	2032/1	0.150	0.150		NO
	2135	0.437	0.437	46	NO
	2129	0.024	0.024		NO
	2122/1	0.105	0.105	26	NO
	1981	0.186	0.186		NO
	2271	0.073	0.073		NO
	2186	0.166	0.166	3	NO
	2188/5	0.109	0.109		NO
	2188/8	0.117	0.117		NO
	2171/2	0.093	0.093	14	NO
	2161/2	0.045	0.045	1	NO
	2161/3	0.045	0.045	1	NO
	2028/3	0.028	0.028		NO
	2169	0.146	0.146	4	NO
	2171/1	0.040	0.040	4	NO
	2170	0.040	0.040	17	NO
	2175	0.032	0.032	11	NO
	2178	0.049	0.049		NO
	2177	0.085	0.085	5	NO
	2273/2	0.089	0.089	7	NO
	2041				
	2090	0.073	0.073	6	NO
	2091				
	2092	0.332	0.332		NO
	2064				
	1959	0.089	0.089		NO
	1960				
	1962	0.036	0.036		NO
	2073/8	0.073	0.073	16	NO
	2184/1	0.125	0.125	1	NO

उप वनमण्डलाधिकारी,
दमिण कोरबा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कस्तुरा परिक्षेत्र

	2101, 2072, 2062, 2066, 2067, 2062, 2063, 1963, 1977, 2089, 1978, 1979, 2039, 2040, 2038, 1881/3, 2036	0.413	0.413	274	NO
	2072	0.089	0.089		NO
	2065				
	2066				
	2067	0.275	0.275		NO
	2062				
	2063	0.307	0.307		NO
	1963				
	1977	0.182	0.182		NO
	2089				
	1978	0.016	0.016		NO
	1979	0.137	0.137		NO
	2039	0.040	0.040		NO
	2040	0.049	0.049		NO
	2038	0.166	0.166		NO
	1881/3	0.032	0.032		NO
	2036	0.061	0.061		NO
	2184/5	0.081	0.081		NO
	2185/1	0.125	0.125	1	NO
	2188/3	0.040	0.040	2	NO
	2188/7	0.097	0.097	3	NO
		0.121	0.121	5	NO
				8188	

उप वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण कोरबा, उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कस्तुरा परिमेत्र

वनमण्डलाधिकारी,
कोरबा वनमण्डल, कोरबा

EDS Reply Sl.No. 4: CERL will request
the state government (Forest
Department) to rectify the proposal
recommendation regarding the density
of forest Patches

for forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East R...
 Project Construction of New BG Electrified line from Urga ot Dharmjaigarh From 0 KM to 62 Km in ...
 Raigarh district in Chhattisgarh, area. 157.035 ha.

ब. प्रत्यावर्तित की जाने वाली (आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि) का विवरण निम्नानुसार प्रेषित करें।

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	विवरण		भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे. मे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	विदोहन किये जाने वाले बांस भिरा की संख्या	अधिकतम घनत्व
				कक्ष क्र.	खसरा नं. आदि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	पी.एफ. 554	-----	संरक्षित वन	10.793	2116	0	0.5
2	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	आर.एफ 562	-----	आरक्षित वन	3.596	1021	0	0.5
3	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	आर.एफ 1179	-----	आरक्षित वन	1.500	380	0	0.5
5	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	पी.एफ. 552	-----	संरक्षित वन	1.677	218	0	0.5
6	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	पी.एफ. 551	-----	संरक्षित वन	6.973	1126	0	0.5
7	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	पी.एफ. 591	-----	संरक्षित वन	7.044	2113	0	0.5
8	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	पी.एफ. 592	-----	संरक्षित वन	10.534	3944	0	0.5
9	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	1369 / 1क	राजस्व वनभूमि	1.611	152	0	0.2
10	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	618 / 1	राजस्व वनभूमि	1.544	113	1	0.2
11	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	25 / 1	राजस्व वनभूमि	0.374	12	0	0.2
12	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	28 / 2क	राजस्व वनभूमि	0.333	42	0	0.1
13	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	25 / 5क	राजस्व वनभूमि	0.102	9	0	0.1
14	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	719 / 1	राजस्व वनभूमि	0.247	49	0	0.1
15	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	965 / 3क	राजस्व वनभूमि	3.782	86	0	0.2
16	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	501 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.400	0	0	0.0
17	धरमजयगढ़	छाल	सिथरा	-----	63 / 1क	राजस्व वनभूमि	1.317	32	0	0.2
18	धरमजयगढ़	छाल	महाराजगंज	-----	713 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.018	0	0	0.0
19	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	-----	957 / 1	राजस्व वनभूमि	0.672	3	0	0.1
20	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	-----	1297 / 1	राजस्व वनभूमि	1.250	17	0	0.1
21	धरमजयगढ़	छाल	हाटी	-----	1310 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.063	2	0	0.1
22	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	526	राजस्व वनभूमि	0.019	0	0	0.0
23	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	607	राजस्व वनभूमि	0.022	1	0	0.1
24	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	621 / 1	राजस्व वनभूमि	0.266	30	0	0.2
25	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	731	राजस्व वनभूमि	0.198	0	0	0.0
26	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	747 / 1	राजस्व वनभूमि	0.155	16	0	0.1
27	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	813 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.886	112	1	0.2
28	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	764 / 6	राजस्व वनभूमि	0.073	3	0	0.1
29	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	929 / 1क	राजस्व वनभूमि	13.166	9185	0	0.2
30	धरमजयगढ़	छाल	जोगडा	-----	933 / 1	राजस्व वनभूमि	2.532	668	0	0.2
31	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	667 / 1क	राजस्व वनभूमि	2.303	174	4	0.2
32	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	543 / 1ख	राजस्व वनभूमि	0.029	0	0	0.0
33	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	89 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.015	2	0	0.1
34	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	71 / 1क	राजस्व वनभूमि	1.906	139	0	0.2
35	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	85 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.024	10	0	0.2
36	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	85 / 1ख	राजस्व वनभूमि	0.025	0	0	0.0
37	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	66 / 1	राजस्व वनभूमि	0.031	0	0	0.0
38	धरमजयगढ़	छाल	खडगाँव	-----	65 / 1	राजस्व वनभूमि	0.333	78	0	0.2
योग:-							75.813	21853	6	

वन मण्डल अधिकारी
 धरमजयगढ़ वन मण्डल
 जिला रायगढ़ (छ.ग.)

उपवनमण्डल अधिकारी
 उपवनमण्डल
 धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र छाल

Division of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG Electrified line from Urga ot Dhamjaigarh From 0 KM to 62 Km in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh, area. 157.035 ha.

ब. प्रत्यावर्तित की जाने वाली (आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि) का विवरण निम्नानुसार प्रेषित करें।

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	विवरण		भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे. मे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	अधिकतम घनत्व
				कक्ष क्र.	खसरा नं. आदि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	कोयलार	पी.एफ. 476	—	संरक्षित वन	4.056	1905	0.3 - 0.4
2	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	बायसी कालोनी	—	1379 / 1क	राजस्व वनभूमि	0.648	59	0.1 - 0.2
3	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	कोयलार	—	376 / 1क	राजस्व वनभूमि	8.300	2972	0.4 - 0.5
4	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	कोयलार	—	376 / 1ख	राजस्व वनभूमि	6.850	3202	0.4 - 0.5
5	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	कोयलार	—	385 / 1	राजस्व वनभूमि	2.000	126	0.2
योग:-							21.854	8264	0.2

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल /
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र

वन परिक्षेत्राधिकारी
उपवनमण्डल /
धरमजयगढ़

करतला परिक्षेत्र अंतर्गत वन क्षेत्र एवं राजस्व वन भूमि में घनत्व एवं डीप फॉरेस्ट की जानकारी

1	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	विवरण		भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे. में)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	अधिकतम घनत्व
				कक्ष क.	खसरा नं. आदि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोरबा	करतला	टेंगनमार	पी 1149	-----	संरक्षित वन	1.562	240	0.4 to 0.6
2	कोरबा	करतला	टेंगनमार	पी 1150	-----	संरक्षित वन	1.793	66	0.4 to 0.6
3	कोरबा	करतला	बोतली	पी 1151	-----	संरक्षित वन	3.886	491	0.4 to 0.6
4	कोरबा	करतला	बोड़झाप	ओए 1458	-----	नारंगी वनभूमि	1.701	51	0.4 to 0.6
5	कोरबा	करतला	जोगीपाली	ओए 1466	-----	नारंगी वनभूमि	4.341	519	0.4 to 0.6
6	कोरबा	करतला	केरवांद्वारी	ओए 1484	-----	नारंगी वनभूमि	1.685	306	0.4 to 0.6
7	कोरबा	कोरबा	गिधौरी	ओए 1302	-----	नारंगी वनभूमि	8.515	78	0.4 to 0.6
8	कोरबा	कोरबा	उरगा	-----	1214/1	राजस्व वनभूमि	0.048	3	0.2
9	कोरबा	कोरबा	दोंगदरहा	-----	668	राजस्व वनभूमि	0.17	13	0.2
0	कोरबा	कोरबा	गिधौरी	-----	112/1	राजस्व वनभूमि	0.313	23	0.2
1	कोरबा	कोरबा	गिधौरी	-----	1194	राजस्व वनभूमि	2.968	314	0.3
2	कोरबा	कोरबा	गिधौरी	-----	1200	राजस्व वनभूमि	3.658	151	0.1
3	कोरबा	कोरबा	गिधौरी	-----	1140	राजस्व वनभूमि	1.145	20	0.1
4	कोरबा	करतला	दादरकला	-----	953	राजस्व वनभूमि	0.302	21	0.2
5	कोरबा	करतला	दादरकला	-----	960	राजस्व वनभूमि	0.829	1	0.1
6	कोरबा	करतला	फततेगंज	-----	1/1	राजस्व वनभूमि	0.395	75	0.4
7	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	226	राजस्व वनभूमि	1.008	202	0.4
8	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	11/1	राजस्व वनभूमि	1.582	353	0.4
9	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	221/1	राजस्व वनभूमि	0.112	14	0.3
0	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	1/1	राजस्व वनभूमि	0.769	41	0.1
1	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	206/1	राजस्व वनभूमि	0.203	16	0.2
2	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	241/1	राजस्व वनभूमि	0.145	33	0.4
3	कोरबा	करतला	डोंगाआमा	-----	58/1, 56/4, 57/2,	राजस्व वनभूमि	1.522	157	0.3
4	कोरबा	करतला	केरवांद्वारी	-----	18/1	राजस्व वनभूमि	0.242	28	0.3
5	कोरबा	करतला	केरवांद्वारी	-----	313	राजस्व वनभूमि	0.61	97	0.4
6	कोरबा	करतला	केरवांद्वारी	-----	125/1 क	राजस्व वनभूमि	0.644	12	0.1
7	कोरबा	करतला	बोड़ाझाप	-----	69/1	राजस्व वनभूमि	2.428	270	0.3
8	कोरबा	करतला	सेंद्रीपाली	-----	751	राजस्व वनभूमि	2.518	75	0.1
9	कोरबा	करतला	सेंद्रीपाली	-----	223	राजस्व वनभूमि	0.492	20	0.1
0	कोरबा	करतला	बांधापाली	-----	354	राजस्व वनभूमि	1.15	23	0.1
1	कोरबा	करतला	पीडिया	-----	1126/10	राजस्व वनभूमि	0.176	6	0.1
2	कोरबा	करतला	पीडिया	-----	807/1	राजस्व वनभूमि	2.745	652	0.4
3	कोरबा	करतला	बोतली	-----	5/1	राजस्व वनभूमि	1.73	178	0.3
4	कोरबा	करतला	टेंगनमार	-----	26/1	राजस्व वनभूमि	1.512	61	0.1
5	कोरबा	करतला	जोगीपाली	-----	210/1	राजस्व वनभूमि	1.809	122	0.2
6	कोरबा	करतला	जोगीपाली	-----	547/1	राजस्व वनभूमि	0.011	5	0.4
7	कोरबा	करतला	जोगीपाली	-----	553/1	राजस्व वनभूमि	0.289	17	0.1
8	कोरबा	करतला	नोनदरहा	-----	49/1	राजस्व वनभूमि	2.075	318	0.4
9	कोरबा	करतला	नोनदरहा	-----	69/1	राजस्व वनभूमि	2.285	158	0.2
योग:-							59.368	5230	

वनमण्डल अधिकारी,
कोरबा वनमण्डल, कोरबा

उप वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण कोरबा, उपवनमण्डल

वनपरिक्षेत्राधिकारी,
करतला परिक्षेत्र, करतला

EDS Reply Sl.No. 5: CERL wishes to
resubmit the CA Scheme with
correction regarding CA Scheme time
period. The revised CA scheme will be
for the ten year period starting in the
year 2021-2022 ending in the year
2030-2031

Chhattisgarh East Railway Limited

(A Subsidiary of South Eastern Coalfields Limited)

Government of India Undertaking

CSIDC Commercial Complex,

Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk,

Raipur-492 013 (C.G.)

CIN: U45203CT2073GO1000729

email: cerlcewrl@gmail.com

Phone: 0771-2970338

Undertaking to amend the Compensatory Afforestation Scheme for the
proposed 62km Uрга to Dharamjaygarh Railway Corridor

I, on behalf of the company (Chhattisgarh East Railway limited) hereby undertake that in-respect of Compensatory Afforestation (CA) Scheme, CERL would amend the Compensatory Afforestation (10 year) scheme, i.e., CA Scheme start date and end date, and/or any other itemised cost etc., as per the instructions received from the Chhattisgarh Forest Department, before or after grant of Stage-1 "In-principle" Forest Clearance.

Place: - Raipur

Date: - 08.07.2022

 Chief Operating Officer
Rajesh Khare Chhattisgarh East Railway Ltd.
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Chief Operating Office Raipur (C.G.)

Chhattisgarh East Railway Limited (CERL)

Authorised Signatory



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. द्वारा

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाअंतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक	:-	P 312	सिरमिना
कूप का कुल रकबा	:-	319.949	हे.
प्रस्तावित रकबा	:-	100.000	हे.
लागत	:-	79889700.00	
परियोजना अवधि	:-	वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक	
वन परिक्षेत्र	:-	केन्दई	

वन परिक्षेत्र : केन्दई

वनमंडल : कटघोरा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाअंतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण
कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र केन्दई के सिरमिना परिसर कक्ष क्रमांक पी. 312 में प्रस्तावित रकबा 100.00 हे. वनक्षेत्र का चयन किया गया है। उक्त क्षेत्र में भूमि स्थिति, जलवायु एवं विभिन्न प्रजातियों के जड़ भण्डार की स्थिति से रोपण हेतु उपयुक्त है एवं अतिक्रमण से मुक्त है।


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन परिक्षेत्राधिकारी
केन्दई


वनमंडलाधिकारी
वीरा वनमण्डल, कटघोरा

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक पी. 312 सिरमिना

वन परिक्षेत्र :- केन्द्रीय

कक्ष का कुल रकबा - 319.949 हे.

कार्य योग्य रकबा - 100.00 हे.

प्रचलित मजदूरी की दर :- 100.000

307.00

उपवनमण्डल :- कटघोरा

वनमंडल :- कटघोरा

प्रथम वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन, उपचार मानचित्र तथा प्रोजेक्ट तैयार करना	100.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	2.00	200.00	61400.00
2	क्षेत्र सफाई कार्य एवं सी.बी.ओ. कार्य	100.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	10.00	1000.00	307000.00
3	स्टेकिंग कार्य (3x3) mtr. अंतराल में खूटी बनाई डुलाई, गुड़ाई सहित	100000 खूटी	मा.दि.प्र.ह.	3.50	350	107450.00
4	क्षेत्र की सुरक्षा हेतु:- कटीले तार से फेंसिंग					
	1- सीमेंट फेंसिंग पोस्ट कय करना 2 मी. लम्बाई 2.50 मी. अंतराल पर 65/2.50=26 Pole +6 Supporting Pole =Pole	3200 नग	प्र.नग	213.46	0.00	683072.00
	2- बारबेड वायर कय करना	4545 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	67.26	0.00	305697.00
	3-तार-फेंसिंग-सीमेंट पोल फिक्सींग स्प्रेंजर पोस्ट सहित (मय सामग्री) एवं तार खिंचाई 5 पंक्ति+2 विकिंग लाईन -7 पंक्तियों में।	29800	मा.दि.प्र.र.मी.	0.25	7450.00	2287150.00
5	पौधा रोपण में गड्ढा खुदाई कार्य 3x3 मीटर अंतराल पर 45x45x45 सें मी साईज का	100000 गड्ढा	मा.दि.प्र.सै.	6.00	6000.00	1842000.00
6	कम्पोस्ट/गोबर खाद्य परिवहन सहित (1/4 भाग करना) = 25 घनमीटर/प्रति हेक्टे.	2500.00 घ.मी.	प्र. घ.मी.	880.00		2200000.00
7	जैविक रासायनिक खाद्य कय					
	बोनमिल कय 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	5000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	20.00	0.00	100000.00
	नीमखली कय 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	5000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	20.00	0.00	100000.00
	फोरेट कय 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	1000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	126.48	0.00	126480.00
	सूपर फास्फेट कय 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	5000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	10.20	0.00	51000.00
	यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय रोपण के समय	5000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	8.00	0.00	40000.00
	बर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा	20000 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	10.20	0.00	204000.00
8	कीटनाशक Monocrotophose/ Malathion कय	100.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	853.00	0.00	85300.00
9	गड्ढों में मिट्टी एवं खाद्य का मिश्रण	100000 गड्ढा	प्र.गड्ढा	2.75	0.00	275000.00
10	रोपड़ी व्यय:- 10 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित	100000 पौधा	प्र. पौधा	15.00	0.00	1500000.00
11	आगामी वर्ष के कैजुअल्टी हेतु पौधा तैयारी	10000 पौधा	प्र. पौधा	10.50	0.00	105000.00
12	पौलिथिन बैग की किमत 15x15 सें मी साईज	440.000 कि.ग्रा.	प्र. पौधा	175.00	0.00	77000.00
13	पौधा परिवहन कार्य	100000 पौधा	प्र. पौधा	5.00	0.00	500000.00
14	पौधा रोपण कार्य (खाद्य एवं कीटनाशक डलाई सहित फरवरी माह में)	100000 पौधा	प्र. पौधा	2.25	2250.00	690750.00
15	निंदाई कार्य :- प्रथम निंदाई रोपण के 15 दिन परचात 1 मीटर व्यास में गुड़ाई सहित	10000 पौधा	प्र. पौधा	1.20	120.00	36840.00
16	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य 12 माह 2 श्रमिक	12x2=24 माह	प्र.माह	8100.00	0.00	194400.00
17	रोपित पौधों का सिंचाई 10 माह	100.000 हे.	प्र. हे.	5000.00	0.00	5000000.00
18	ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (ट्यूबवेल, ड्रिप सिस्टम सहित)	100.000 हे.	प्र. हे.	200000	0.00	20000000.00
19	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड लगाना, रस्सी, धूना अग्नि सुरक्षा आदि।)	100.000 हे.	L.S.		0.00	1000000.00
20	आस्थामूलक कार्य	100.000 हे.	L.S.		0.00	9078161.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		469577.00	योग			46957700.00

द्वितीय वर्ष 2022-23

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लाईव हेज का निमाण अगेव, अरण्डी, जट्रोफा, नागफनी, बबूल आदी का फेंसिंग के किनारे दो लाईनो मे रोपण,	100.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	1050	0.00	105000.00
		9300.00 र.मी.	प्र.र.मी.			
2	रोपणी मे पौधों का रखरखाव	1000 पौधा	प्र.पौधा	5.00	0.00	5000.00
3	जैविक एवं रासायनिक खाद, किटनाशक कय	100.000 हे.	प्र.हे.	5000	0.00	500000.00
4	प्रथम सिंचाई कार्य 01 मी व्यास मे	100000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	1.20	1200.00	368400.00
5	द्वितीय निंदाई कार्य 01 मी. चौडी पट्टी में	100000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	2.00	2000.00	614000.00
6	तृतीय निंदाई कार्य 01 मी व्यास में	100000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	1.20	1200.00	368400.00
7	सुरक्षा कार्य 12 माह 2 श्रमिक	100.000 हे.	प्र.माह	LS		221040.00
8	सिंचाई कार्य बिजली बिल सहित	100.000 हे.	प्र.हे. माह	3000	0.00	300000.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर मे वृद्धि आदि।	100.000 हे.	L.S.		0.00	4838660.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		73205.00		योग :-		7320500.00

तृतीय वर्ष 2023-24

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम निंदाई कार्य 01 मी व्यास मे	100000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	1.20	1200.00	368400.00
2	द्वितीय निंदाई कार्य 01 मी. चौडी पट्टी में	100000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	2.00	2000.00	614000.00
3	जैविक एवं रासायनिक खाद, किटनाशक कय	100.000 हे.	प्र. हे.	5000	0.00	500000.00
4	सुरक्षा कार्य 12 माह 2 श्रमिक	100.000 हे.	प्र. मा.दि.हे.		0.00	221040.00
5	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	100.000 हे.	प्र.हे. माह	2500	0.00	250000.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर मे वृद्धि आदि।	100.000 हे.	L.S.		0.00	3463860.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		54173		योग :-		5417300.00

चतुर्थ वर्ष 2024-25

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	निंदाई गुड़ाई/किटनाशक, खाद डलाई	100000 पौधा	मा.दि.सै.	1.20	1200.00	368400.00
2	रासायनिक खाद कय					
	फोरेट कय 10 ग्राम प्रति पौधा	1000.00 कि.ग्रा.	प्र.किग्रा.	126.50		126500.00
	डी.ए.पी. कय 50 ग्राम प्रति पौधा	5000.00 कि.ग्रा.	प्र.किग्रा.	20.00		100000.00
3	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा	100.000 हे.	प्र.हे.	31.20	3120.00	957840.00
4	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	100.000 हे.	प्र. हे.	2500		250000.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय, फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर मे वृद्धि आदि।	100.000 हे.	प्र. हे.	LS.		2589560.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		43923		योग :-		4392300.00

पंचम वर्ष 2025-26

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	100.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	3120.00	957840.00
2	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	100.000 हे.	प्र.हे. माह	2500.00		250000.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	100.000 हे.	LS.	LS.		2452560.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		36604		योग :-		3660400.00

षष्ठम वर्ष 2026-27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	100.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	3120.00	957840.00
2	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	100.000 हे.	प्र.हे. माह	2500.00		1500000.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	100.000 हे.	LS.	LS.		869660.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		33275		योग :-		3327500.00

सप्तम वर्ष 2027-28

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	100.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	3120.00	957840.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	100.000 हे.	LS.	LS.		1245660.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		2203500.00

अष्टम वर्ष 2028-29

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	100.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	3120.00	957840.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	100.000 हे.	LS.	LS.		1245660.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		2203500.00

नवम वर्ष 2029-30

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	100.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	3120.00	957840.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	100.000 हे.	LS.	LS.		1245660.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		2203500.00

दशम वर्ष 2030-2031

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	100.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	3120.00	957840.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	100.000 हे.	LS.	LS.		1245660.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		2203500.00

गोशवारा

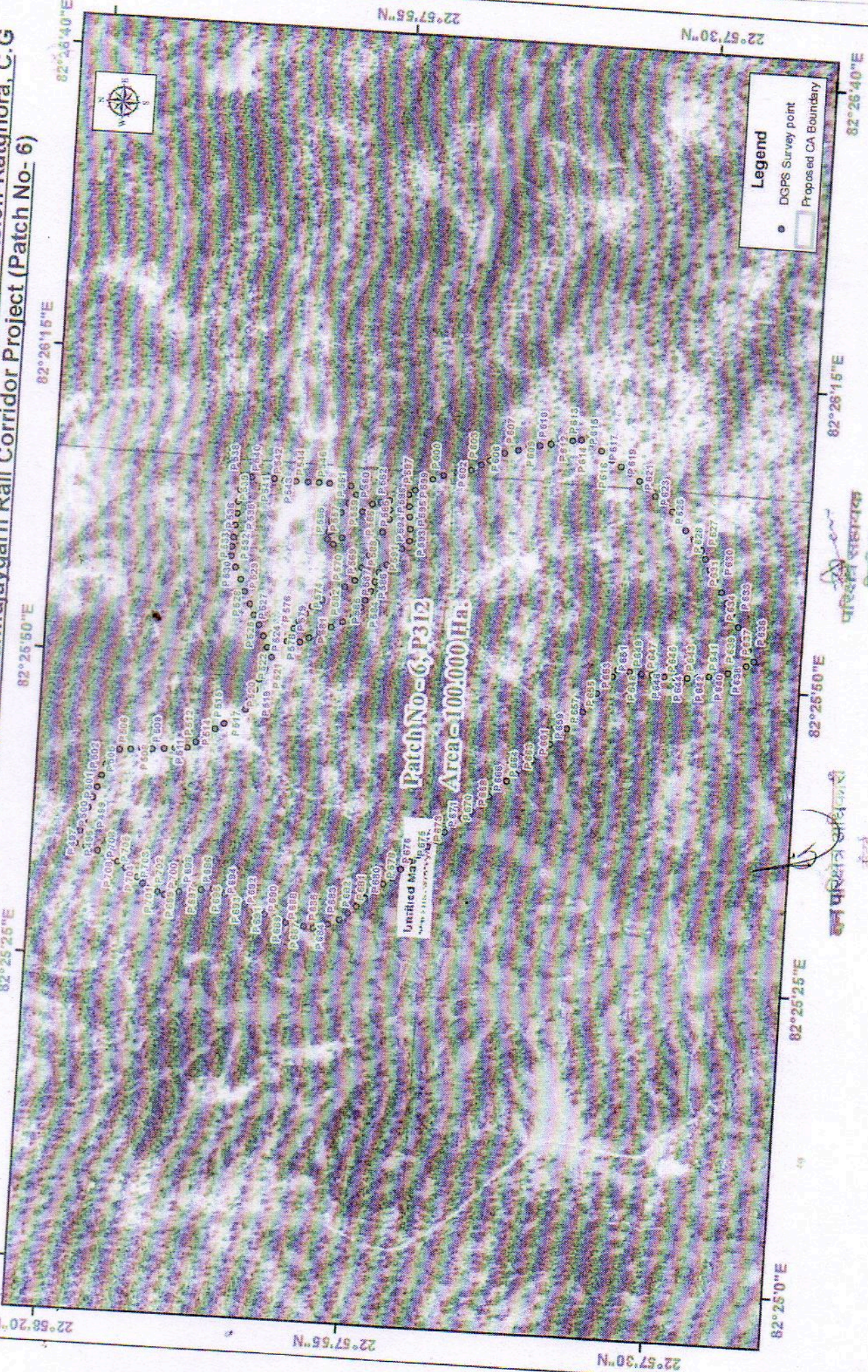
क्र.	वर्ष	रकबा	कुल व्यय	प्रति हे. व्यय
1	2	3	4	5
1	प्रथम वर्ष 2021-22	100.000	46957700.00	469577.00
2	द्वितीय वर्ष 2022-23	100.000	7320500.00	73205.00
3	तृतीय वर्ष 2023-24	100.000	5417300.00	54173.00
4	चतुर्थ वर्ष 2024-25	100.000	4392300.00	43923.00
5	पंचम वर्ष 2025-26	100.000	3660400.00	36604.00
6	षष्ठम वर्ष 2026-27	100.000	3327500.00	33275.00
7	सप्तम वर्ष 2027-28	100.000	2203500.00	22035.00
8	अष्टम वर्ष 2028-29	100.000	2203500.00	22035.00
9	नवम वर्ष 2029-30	100.000	2203500.00	22035.00
10	दशम वर्ष 2030-2031	100.000	2203500.00	22035.00
योग :-		100.000	79889700.00	798897.00

उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र केन्द्र

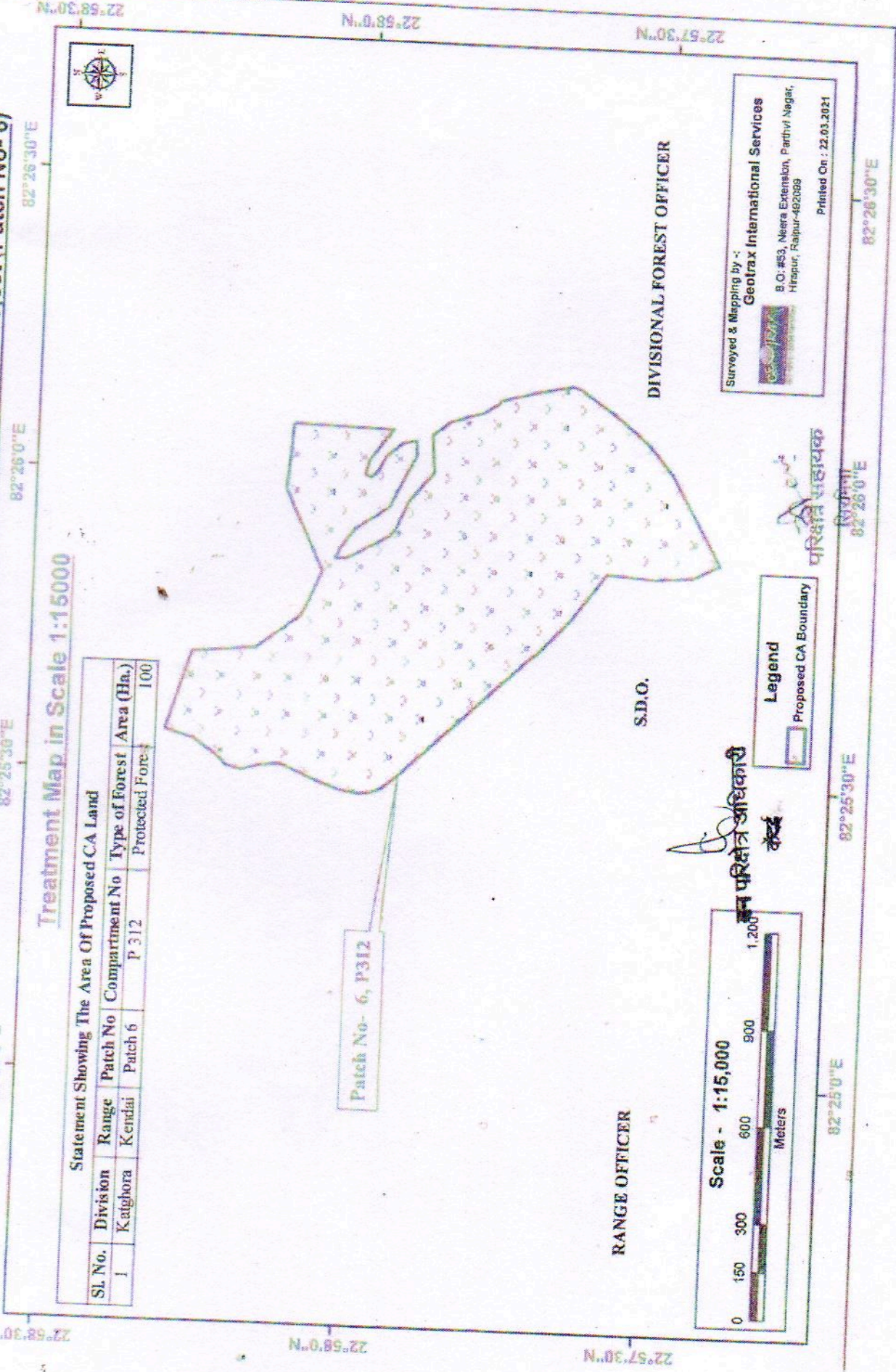
Map Showing 315.000 Ha. Land Proposed for Compensatory Afforestation in Range - Kendai, Division-Katghora, C.G in-Lieu of Diversion of Forest Land for Uрга to Dharmajaygarh Rail Corridor Project (Patch No- 6)



पञ्चसाल
रिजर्व

पञ्चसाल
रिजर्व

Map Showing 315,000 Ha. Land Proposed for Compensatory Afforestation in Range - Kendai, Division-Katghora, C.G in-Lieu of Diversion of Forest Land for Urga to Dharmajygarh Rail Corridor Project (Patch No-6)





छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

छ.ग. ईस्ट रेल कॉरीडोर लिमि. द्वारा

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाअंतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक	:-	P 318	झिनपुरी
कूप का कुल रकबा	:-	225.925	हे.
प्रस्तावित रकबा	:-	20.000	हे.
लागत	:-	15977940.00	
परियोजना अवधि	:-	वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक	
वन परिक्षेत्र	:-	केन्दई	

वन परिक्षेत्र : केन्दई

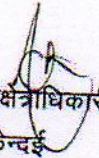
वनमंडल : कटघोरा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाअंतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण
कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र केन्दई के सिरमिना सर्किल अंतर्गत झिनपुरी परिसर कक्ष क्रमांक पी. 318 में प्रस्तावित रकबा 20.00 हे. वनक्षेत्र का चयन किया गया है। उक्त क्षेत्र में भूमि स्थिति, जलवायु एवं विभिन्न प्रजातियों के जड़ भण्डार की स्थिति से रोपण हेतु उपयुक्त है एवं अतिक्रमण से मुक्त है।


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन परिक्षेत्राधिकारी
केन्दई


वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण

फक्ष क्रमांक पी. 318 झिनपुरी

वन परिक्षेत्र :- केन्द्रीय

कक्ष का कुल रकबा - 225.925 हे.

कार्य योग्य रकबा - 20.00 हे.

प्रचलित मजदूरी की दर :- 20.000

307.00

उपवनमण्डल :- कटघोरा

वनमंडल :- कटघोरा

प्रथम वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन, उपचार मानचित्र तथा प्रोजेक्ट तैयार करना	20.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	2.00	40.00	12280.00
2	क्षेत्र सफाई कार्य एवं सी.बी.ओ. कार्य	20.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	10.00	200.00	61400.00
3	स्टेकिंग कार्य (3x3) mtr. अंतराल में खूटी बनाई डुलाई, गुड़ाई सहित	20000 खूटा	मा.दि.प्र.ह.	3.50	70	21490.00
4	क्षेत्र की सुरक्षा हेतु:- कटीले तार से फेंसिंग					
	1- सीमेंट फेंसिंग पोस्ट कय करना 2 मी. लम्बाई 2.50 मी. अंतराल पर 65/2.50=26 Pole +6 Supporting Pole = Pole	640 नग	प्र.नग	213.46	0.00	136614.00
	2- बारबेड वायर कय करना	909 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	67.26	0.00	61139.00
	3-तार-फेंसिंग-सीमेंट पोल फिक्सींग स्प्रेंजर पोस्ट सहित (मय सामग्री) एवं तार खिंचाई 5 पवित+2 विक्रिण लाईन -7 पवितियों में।	5960	मा.दि.प्र.र.मी.	0.25	1490.00	457430.00
5	पौधा रोपण में गड्डा खूदाई कार्य 3x3 मीटर अंतराल पर 45x45x45 से मी साईज का	20000 गड्डा	मा.दि.प्र.सै.	6.00	1200.00	368400.00
6	कम्पोस्ट/गोबर खाद्य परिवहन सहित (1/4 भाग करना) = 25 घनमीटर/प्रति हेक्टे.	500.00 घ.मी.	प्र. घ.मी.	880.00		440000.00
7	जैविक रासायनिक खाद्य कय					
	बोनमिल कय 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	1000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	20.00	0.00	20000.00
	नीमखली कय 50 ग्राम पौधा रोपण के समय	1000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	20.00	0.00	20000.00
	फोरेट कय 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	200.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	126.48	0.00	25296.00
	सूपर फास्फेट कय 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	1000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	10.20	0.00	10200.00
	यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय रोपण के समय	1000.00 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	8.00	0.00	8000.00
	वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा	4000 कि.ग्रा.	प्र. कि.ग्रा.	10.20	0.00	40800.00
8	कीटनाशक Monocrotophose/ Malathion कय	20.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	853.00	0.00	17060.00
9	गड्डों में मिट्टी एवं खाद्य का मिश्रण	20000 गड्डा	प्र.गड्डा	2.75	0.00	55000.00
10	रोपड़ी व्यय:- 10 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित	20000 पौधा	प्र. पौधा	15.00	0.00	300000.00
11	आगामी वर्ष के कैजुअल्टी हेतु पौधा तैयारी	2000 पौधा	प्र. पौधा	10.50	0.00	21000.00
12	पौलिथिन बैग की किमत 15x15 से मी साईज	88.000 कि.ग्रा.	प्र. पौधा	175.00	0.00	15400.00
13	पौधा परिवहन कार्य	20000 पौधा	प्र. पौधा	5.00	0.00	100000.00
14	पौधा रोपण कार्य (खाद्य एवं कीटनाशक डलाई सहित फरवरी माह में)	20000 पौधा	प्र. पौधा	2.25	450.00	138150.00
15	निंदाई कार्य :- प्रथम निंदाई रोपण के 15 दिन पश्चात 1 मीटर व्यास में गुड़ाई सहित	2000 पौधा	प्र. पौधा	1.20	24.00	7368.00
16	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य 12 माह 2 श्रमिक	12x2=24 माह	प्र.माह	8100.00	0.00	194400.00
17	रोपित पौधों का सिंचाई 10 माह	20.000 हे.	प्र. हे.	5000.00	0.00	1000000.00
18	ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (ट्यूबवेल, ड्रिप सिस्टम सहित)	20.000 हे.	प्र. हे.	200000	0.00	4000000.00
19	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड लगाना, रस्सी, चूना अग्नि सुरक्षा आदि।)	20.000 हे.	L.S.		0.00	1000000.00
20	आस्थाभूलक कार्य	20.000 हे.	L.S.		0.00	860113.00
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-	469577.00	योग			9391540.00

द्वितीय वर्ष 2022-23

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लाईव हेज का निमाण अगेव, अरण्डी, जट्रोफा, नागफनी, बबूल आदी का फेंसिंग के किनारे दो लाईनो में रोपण,	20.000 हे.	मा.दि.प्र.हे.	1050	0.00	21000.00
		1860.00 र.मी.	प्र.र.मी.			
2	रोपणी में पौधों का रखरखाव	200 पौधा	प्र.पौधा	5.00	0.00	1000.00
3	जैविक एवं रासायनिक खाद, किटनाशक कय	20.000 हे.	प्र.हे.	5000	0.00	100000.00
4	प्रथम सिंचाई कार्य 01 मी व्यास में	20000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	1.20	240.00	73680.00
5	द्वितीय निंदाई कार्य 01 मी. चौड़ी पट्टी में	20000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	2.00	400.00	122800.00
6	तृतीय निंदाई कार्य 01 मी व्यास में	20000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	1.20	240.00	73680.00
7	सुरक्षा कार्य 12 माह 2 श्रमिक	20.000 हे.	प्र.माह	LS		221040.00
8	सिंचाई कार्य बिजली बिल सहित	20.000 हे.	प्र.हे. माह	3000	0.00	60000.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	L.S.		0.00	790900.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		73205.00		योग :-		1464100.00

तृतीय वर्ष 2023-24

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम निंदाई कार्य 01 मी व्यास में	20000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	1.20	240.00	73680.00
2	द्वितीय निंदाई कार्य 01 मी. चौड़ी पट्टी में	20000 पौधा	प्र.मा.दि. सै.	2.00	400.00	122800.00
3	जैविक एवं रासायनिक खाद, किटनाशक कय	20.000 हे.	प्र. हे.	5000	0.00	100000.00
4	सुरक्षा कार्य 12 माह 2 श्रमिक	20.000 हे.	प्र. मा.दि.हे.		0.00	221040.00
5	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	20.000 हे.	प्र.हे. माह	2500	0.00	50000.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	L.S.		0.00	515940.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		54173		योग :-		1083460.00

चतुर्थ वर्ष 2024-25

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	निंदाई गुड़ाई/किटनाशक, खाद डलाई	20000 पौधा	मा.दि.सै.	1.20	240.00	73680.00
2	रासायनिक खाद कय					
	फोरेट कय 10 ग्राम प्रति पौधा	200.00 कि.ग्रा.	प्र.किग्रा.	126.50		25300.00
	डी.ए.पी. कय 50 ग्राम प्रति पौधा	1000.00 कि.ग्रा.	प्र.किग्रा.	20.00		20000.00
3	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा	20.000 हे.	प्र.हे.	31.20	624.00	191568.00
4	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	20.000 हे.	प्र. हे.	2500		50000.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय, फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	प्र. हे.	LS.		517912.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		43923		योग :-		878460.00

पंचम वर्ष 2025-26

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	20.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	624.00	191568.00
2	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	20.000 हे.	प्र.हे. माह	2500.00		50000.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय फेसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	LS.	LS.		490512.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		36604		योग :-		732080.00

षष्ठम वर्ष 2026-27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	20.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	624.00	191568.00
2	रोपित पौधों की सिंचाई 6 माह	20.000 हे.	प्र.हे. माह	2500.00		300000.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय फेसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	LS.	LS.		173932.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		33275		योग :-		665500.00

सप्तम वर्ष 2027-28

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	20.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	624.00	191568.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	LS.	LS.		249132.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		440700.00

अष्टम वर्ष 2028-29

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	20.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	624.00	191568.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	LS.	LS.		249132.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		440700.00

नवम वर्ष 2029-30

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	20.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	624.00	191568.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	LS.	LS.		249132.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		440700.00

दशम वर्ष 2030-2031

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा/संख्या	ईकाई	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा 12 माह	20.000 हे.	मा.दि. हे.	31.20	624.00	191568.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय फेंसिंग मरम्मत, अग्नि सुरक्षा एवं मजदूरी दर में वृद्धि आदि।	20.000 हे.	LS.	LS.		249132.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		22035		योग :-		440700.00

गोशवारा

क्र.	वर्ष	रकबा	कुल व्यय	प्रति हे. व्यय
1	2	3	4	5
1	प्रथम वर्ष 2021-22	20.000	9391540.00	469577.00
2	द्वितीय वर्ष 2022-23	20.000	1464100.00	73205.00
3	तृतीय वर्ष 2023-24	20.000	1083460.00	54173.00
4	चतुर्थ वर्ष 2024-25	20.000	878460.00	43923.00
5	पंचम वर्ष 2025-26	20.000	732080.00	36604.00
6	षष्ठम वर्ष 2026-27	20.000	665500.00	33275.00
7	सप्तम वर्ष 2027-28	20.000	440700.00	22035.00
8	अष्टम वर्ष 2028-29	20.000	440700.00	22035.00
9	नवम वर्ष 2029-30	20.000	440700.00	22035.00
10	दशम वर्ष 2030-2031	20.000	440700.00	22035.00
योग :-		20.000	15977940.00	798897.00

उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र केन्द्रई

Map Showing 315 000 Hs

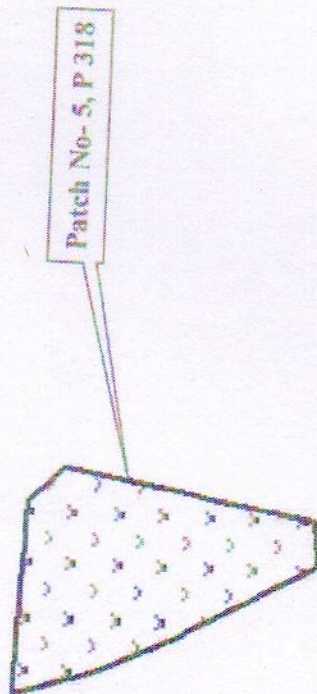


Map Showing 315 000 Hs

**Map Showing 315.00 Ha. Land Boundary Proposed For Compensatory Afforestation (CA)
For CERL, CA land in Kendai (Patch No - 5)**

Treatment Map in Scale 1:15000

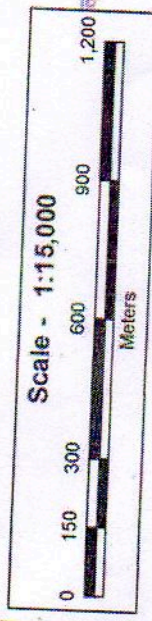
CERL CA LAND AREA STATEMENT				
Sl. No.	Division	Range	Patch No	Compartment No
1	Katghora	Kendai	Patch-5	P 318
				Type of Forest
				Protected Forest
				Area (Ha.)
				20.00
				Total Proposed Area
				20.00



RANGE OFFICER

S.D.O.

DIVISIONAL FOREST OFFICER



Handwritten signature in blue ink.

Surveyed & Mapping by :-
Geotrax International Services
 B.O. #53, Neera Extension, Parthvi Nagar,
 Hirapur, Raipur-492099
 Printed On : 28.10.2020



EDS Reply Sl.No.6: Undertaking to bear
the cost of NPV

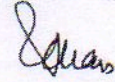
चेक लिस्ट क्र.— 36

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य
जमा करने का वचन पत्र।

चेक लिस्ट क्रमांक -36

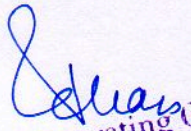
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार
प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित वन भूमि रकबा 157.035 हे. (धरमजयगढ़ वनमंडल 97.667 हे. एवं कोरबा वनमंडल 59.368 हे.) प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर की ECO-Value के आधार पर जो भी प्रत्याशा शुल्क निर्धारित होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने के लिए आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ वचनबद्ध है।



Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
राजेश खरे Raipur (C.G.)

मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी
सी.ई.आर.एल. / सी.ई.डब्ल्यू.आर.एल
CSIDC कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर छत्तीसगढ़



Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

EDS Reply Sl.No.7: Details of
Employment Potential

Chhattisgarh East Railway Limited

(A Subsidiary of South Eastern Coalfields Limited)

Government of India Undertaking

CSIDC Commercial Complex,

Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk,

Raipur-492 013 (C.G)

CIN: U45203CT2013GOI000729

email: cerlcewrl@gmail.com

Phone: 0771-2970338

Details of Employment Potential for the 62 km long Railway Corridor from Urga to Dharamjaygarh

Category		Direct	Indirect
Permanent	Skilled	109	NIL
	Semi-Skilled	161	NIL
	Un-Skilled	37	NIL
Temporary	Skilled	9	31
	Semi-Skilled	9	62
	Un-Skilled	124	6789

Place: Raipur

Date: 12/05/2022



Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

Rajesh Khare

Chief Operating Officer

Chhattisgarh East Railway Limited (CERL)

Authorised Signatory

EDS Reply Sl.No.8: Undertaking to
submit the DLC proceedings w.r.t
compliance to FRA 2006

Chhattisgarh East Railway Limited

(A Subsidiary of South Eastern Coalfields Limited)

Government of India Undertaking

CSIDC Commercial Complex,

Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk,

Raipur-492 013 (C.G)

CIN: U45203CT2013GOI000729

email: cerlcewrl@gmail.com

Phone: 0771-2970338

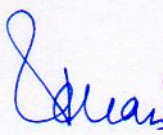
Undertaking for submission of FRA certificate District Level Proceedings for the proposed 62km long Uрга to Dharamjaygarh Railway Corridor

I, on behalf of the company (Chhattisgarh East Railway limited) hereby undertake that in-respect of "FRA Certificate DLC Proceedings", CERL would humbly request MoEF&CC to allow for the submission District Level Committee (DLC) proceeding after Forest Stage-1 FC.

In this Regard CERL wishes to submit an undertaking to submit the DLC proceedings after obtaining FC Stage-1 .

Place: Raipur

Date: 12/05/2022

 Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex.
2nd Floor, Raipura,
Raipur (C.G.)

Rajesh Khare

Chief Operating Officer

Chhattisgarh East Railway Limited (CERL)

Authorised Signatory